तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मुकदमा नम्बर –57 /2020	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08/6/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व अप्रार्थीगण उपस्थित होकर प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया। वकील पक्षकारान तैयार होने पर मूल प्रकरण में बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली आदेश में ली जाकर अवलोकन किया गया। प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.12.2016 के द्वारा तहसीलदार (भू.अ0) झुन्झुनूं द्वारा रास्ते संबधी समस्याओं का निराकरण अभियान 2016 के अन्तर्गत प्रचलित रास्तों को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु रास्ता का प्रस्ताव पेश कर निवेदन किया कि पटवार मण्डल झुन्झुनूं के राजस्व ग्राम झुन्झुनूं के खेड़ी में खेतों का रास्ता जो भूमि ख.नं. 2181, 2186, 2185, 2199 में स्थित को राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज किये जाने की अभिशंषा करनें पर राज्य–सरकार–राजस्व (ग्रुप–6) विभाग का परिपत्र क्रमांक प.3(2) राज–6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 के परिपेक्ष्य में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर मुताबिक रास्ता प्रस्ताव के अनुसार राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित किया गया था। जिसके विरूद्ध प्रार्थी (खातेदार) ख्यालीराम सैनी द्वारा माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त मुकाम जयपुर के यहां अपील पेश करने पर माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 11.12.2019 के द्वारा अपील अपीलांट स्वीकार करते हुये इस न्यायालय का आदेश दिनांक 09.12.2016 को अपीलांट की हक तक निरस्त किया जाकर प्रकरण को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड करते हुये आदेश प्रति प्रेषित की कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य सबूत दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दते हुए प्रकरण में पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी को प्रकरण में हितबद्ध पक्षकारों को पक्षकारान बनाने की हिदायत करने पर प्रार्थी द्वारा प्रा0–पत्र 01R10 CPC का पेश किया जाने पर पक्षकारानों की सहमति पर प्रा0 पत्र 01R10 CPC स्वीकार कर मूल प्रकरण में आवश्यक पक्षकारान बनाये जाकर प्रार्थी/अप्रार्थीगण साक्ष्य दस्तावेज पेश करने की हिदायत की गई। समुचित अवसर दिये जाने के बावजूद भी प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई भी साक्ष्य दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिससे यह विवादित रास्ता भूमि कदीमी प्रचलित रास्ता वर्ष 2016 से पूर्व का था या नही। अप्रार्थीगण ओमप्रकाश सैनी ने अपने जवाब प्रा0 पत्र अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के परिवार के सदस्य जयराम जो कि प्रार्थी का भाई है। विवादित रास्ता ख.नं. 2181, 2186, 2185, 2199 में से दिनांक 25.01.2008 को बलदेवा पुत्र हनुमान के नाम से एक विक्रय पत्र तस्दीक करवाया था जिसके साथ भी नक्शा संलग्न है जिसमें उक्त रास्ता 4 फीट चौड़ाई का अंकन है तथा प्रार्थी का भाई जयराम ने उक्त प्लाट जिसमें रास्ते का विवाद है जिसका दिनांक 06.02.2008 को एक विक्रय पत्र ताराचन्द पुत्र मगाराम के नाम से उप पंजीयक झुन्झुनूं के यहा तस्दीक करवाया था जिसके साथ भी नक्शा संलग्न है जिसमें भी 4 फीट रास्ता चौड़ाई का अंकन है फिर ताराचन्द ने उक्त प्लाट की रजिस्ट्री ओमप्रकाश सैनी व ईश्वर सिंह के नाम से रजिस्ट्री दिनांक 27.07.2020 को सब – रजिस्ट्रार के यहां तस्दीक	

उप खण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

करवाई थी। जिसके साथ भी नक्शा संलग्न के अनुसार रास्ता चौडाई 4 फीट की अंकित है तथा वर्तमान में उक्त ख.नं. 2181, 2186, 2185, 2199 में से कोई रास्ता कहानी नहीं है तथा इस बाबत प्रस्तुत दस्तावेजात में रास्ता कहानी नहीं होना जाहिर है। हमने न्यायालय का निर्णय दिनांक 09.12.2016 व माननीय न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.12.2019 व प्रार्थी / अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों में वर्णित तथ्यों व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का विक्रय पत्र प्रतियां का ध्यान पूर्वक अवलोकन करते हुये बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया गया। जिसमें प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेजात व साक्ष्य पेश नहीं किया गया जिससे उक्त रास्ता भूमि वर्ष 2016 से पूर्व में प्रचलित रास्ता था या नही। जिसकी ताईद करवाने में प्रार्थी पूर्णतया असफल रहा है तथा ना ही पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध है जो उक्त रास्ता वर्ष 2016 से पूर्व में प्रचलित होकर चालू था। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा उठाये गये तथ्य सारहीन होना जाहिर होते है क्योंकि उक्त रास्ता भूमि का जरिये विक्रय पत्रों के माध्यम से क्रमशः दिनांकित 25.01.2008, 06.02.2008 व 27.07.2008 के द्वारा प्लाटों के रूप में बेचान किया जाना व विक्रय पत्रों के संलग्न नक्शों के अनुसार 4 फीट चौडाई का रास्ता का अंकन किया गया है। इस प्रकार प्रार्थीगण चाहे तो धारा 251(क) के तहत नवीन आवेदन पत्र पेश करने हेतु स्वतंत्र है न कि न्यायालय के पूर्व निर्णय दिनांक 09.12.2016 को यथावत रखवाने के अधिकारी है। उक्त सभी तथ्यों व विधि प्रावधानों के दृष्टिगत न्यायालय राय में विवादित रास्ता भूमि ख.नं. 2181, 2186, 2185, 2199 पूर्व न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.12.2016 को यथावत न रखा जाकर मुताबिक विक्रय पत्रों के संलग्न नक्शा में दर्शित 4 फीट चौड़ाई का रास्ता कायम राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश तहसीलदार झुन्झुनू को दिये जाते है। आदेश प्रति पालनार्थ तहसीलदार झुन्झुनू को तहरीर के साथ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखित दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 08.06.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

08.06.22

उप खण्ड अधिकारी

झुन्झुनू (राज.)